संख्या–1221/47–का–3–2012– 24/7/2011

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर–डी0, अलीगंज लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, ,2012**

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत व्यय हेतु प्रथम छमाही के अवशेष 02 माहों के लिए उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1974/47–का–3–2011–24/7/2011, दिनांक–12–4–2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ को सहायक अनुदान/राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु आय–व्यय के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2012 (अधिनियम संख्या–05 सन् 2012) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार स्वीकृत व्यय के लिए रू0 7,34,13,000 (रू0 सात करोड़ चौतीस लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि का प्रथम छमाही के अवशेष 02 माह (अगस्त, 2012 से सितम्बर,2012 तक) के लिए अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं– आयोजनेत्तर–003–प्रशिक्षण–11– उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ के निम्नलिखित मानक मदों/उपशीर्षो में सम्मुख अंकित धनराशि माह अगस्त, 2012 से सितम्बर,2012 तक के व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार में)

उपशीर्ष/ मद का नाम	बजट साहित्य के पृष्ठ–4 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि	प्रथम 04 माह (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि	अवशेष 02 माह (अगस्त, 2012 से सितम्बर, 2012 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	59228	18879	10735
31– सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	14185	4728	2364.5
योग	**73413**	**23607**	**13099.5**

(रूपये एक करोड़ तीस लाख निन्यानबे हजार पांच सौ मात्र)

2– इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जाएगा।

3– विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2012–2013 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

4– उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नहीं की जाएगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जाएगा एवं उक्त बिल को अनुसचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जाएगा।

5— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6— विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आबंटन एवं आबंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या—बी—1—1195/दस—18/94 दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7— शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए 934/दस—2008 मित—1/2007 दिनांक—02—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

8— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/डाकखाने में जमा नहीं की जाएगी।

9— उ0प्र0 के बजट मैनुअल के पैरा—88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग भीतर रखा जाना महानिदेशक, उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम0—13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ—साथ (वित्त—नियंत्रण) अनुभाग—5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

10— अनुदान संख्या—19 के लेखा शीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें —आयोजनेत्तर —003 —प्रशिक्षण—11— उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ के लिए वित्तीय वर्ष 2012—2013 के आय—व्ययक में प्रथम छमाही के अवशेष 02 माह अगस्त, 2012 से सितम्बर, 2012 तक 20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 5,92,28,000.00 (रू0 पांच करोड़ बानबे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि मे से धनराशि रूपये 1,07,35,000.00 (रूपये एक करोड़ सात लाख पैंतीस हजार मात्र) तथा 31—सहायता अनुदान—सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,41,85,000.00 (रूपया एक करोड़ इक्तालिस लाख पचासी हजार मात्र) में से धनराशि रू0 23,64,500.00 (रूपया तेइस लाख चौंसठ हजार पांच सौ मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1221/47—का—3—2012—24/7/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4— कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
5— अनुसचिव, (नियुक्ति अनुभाग)—6 उ0प्र0शासन।
6— नियुक्ति अनुभाग—6 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0शासन।
7— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5 उ0प्र0शासन।
8— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2 उ0प्र0शासन।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0पी0एम0 द्विवेदी)
उप सचिव।